

FPIUP/pipeline/152636/2022

भाग - 4

(नोडल अधिकारी अथवा प्रधान मुख्य वन संरक्षक अथवा अध्यक्ष, वन विभाग द्वारा भरे जाने के लिए)

17. टिप्पणियों के साथ प्रस्ताव को स्वीकार करने -
या अन्यथा के लिए राज्यवन विभाग की विस्तृत राय
और निर्दिष्ट सिफारिशें।
(राय देते समय, सम्बंधित वन संरक्षक अथवा उप वन संरक्षक की
प्रतिकूल टिप्पणियों की सुस्पष्ट समीक्षा की जाए और विवेचनात्मक टिप्पणी दी जाए।)

cf. 1. 12/22 की संस्तुति
के आधार पर स्वीकृतार्थ
संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर.....

तिथि 11/12/22

स्थान.....

नाम और पदनाम Anupam Gupta
Chief Conservator of Forests/Model Officer
सरकारी मोहर..... Forest Conservation Act, 1980
U.P. Lucknow